कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड (म0प्र0)

क्रमांक 3326/नजारत/2023 भिण्ड, दिनांक 03/10/2023

// शर्तें //

1. ठेके की अवधि दिनांक 28.10.2023 से 27.10.2024 तक एक वर्ष तक रहेगी।
2. ठेके की न्यूनतम राशि–1,25,000/– रूपये (एक लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) निर्धारित की गई है।
3. स्टैण्ड पर साईकिल/मोटरसाइकिल रखने का समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक रहेगा।
4. सायकल का किराया 5/–, मोटरसायकल का किराया 10/– रूपये एवं चार पहिया वाहन का किराया 20/– रूपये देय होगा। इससे अधिक किराया ठेकेदार नहीं ले सकेगा।
5. शासकीय कर्मचारियों एवं अभिभाषकों पर साईकिल व मोटर साईकिलो/स्कूटरों का मासिक किराया 50/– व 100/– रूपये देय होगा।
6. साईकिल/स्कूटर/मोटरसाईकिल वाहन स्टैण्ड में ही खडें किये जावे अन्यत्र इधर–उधर खडे पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जावेगा।
7. ठेकेदार अथवा उसके अन्य सेवकों द्वारा किसी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सूची नजारत अनुभाग में देय करेगा एवं कर्मचारियों की पहचान हेतु बिल्ला लगा होना चाहिए, जिससे स्टैण्ड पर उक्त कर्मचारियों की पहचान हो सके।
8. स्टैण्ड का स्थान मुख्य द्वारा के बगल से न्यायालय परिसर की बाउण्ड्रीवॉल के बाहर पुलिस लाइन के सामने रहेगा।
9. स्वीकृति दिनांक को ठेका की एक चौथाई रकम जमा करनी होगी।
10. ठेके की शेष राशि स्वीकृति होने के पश्चात् तीन समान किश्तों में समान समयान्तराल के अदंर जमा करनी होगी।
11. निविदा स्वीकृति करने का अधिकार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भिण्ड को रहेगा।

उपरोक्त क्र. 01 लगायत 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा किये जाने पर वार्षिक अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा तथा उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि को राजसात कर लिया जावेगा।

प्रभारी अधिकारी, 3.10.2023
नजारत अनुभाग,
कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भिण्ड (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड (म0प्र0)

// निविदा–विज्ञप्ति //

प्रति,

श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
भिण्ड (म0प्र0)।

विषय :– जिला न्यायालय भिण्ड के वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु दिनांक 28.10.2023 से 27.10.2024 तक एक वर्ष की अवधि हेतु बंद निविदा प्रस्तुत करने बावत्।

उपरोक्त अनुसार निवेदन है कि विषयाकिंत अनुबंध की प्राप्ति हेतु शर्त अनुसार निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत है:–

नाम ....
पिता का नाम ....
स्थाई निवास का पता ....
पत्राचार का पता ....
मोबाइल नं0 .... व्हॉट्स एप नं0 ....
ई–मेल नं0 ....
आधार क्रमांक ....
अर्नेष्ट मनी का बैंकर्स चैंक का क्रमांक...दिनांक.................................
राशि...बैंक का नाम ....
निविदा की राशि...

हस्ताक्षर..

// घोषणा //

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तो का पालन करते हुए निविदा की राशि का लेख किया गया है, यदि मेरे द्वारा कोई भी असत्य जानकारी पाई जाती है या निविदा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, तो मेरी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावे व जमा अर्नेष्ट मनी राशि राजसात की जावे। इसमें प्रार्थी व प्रार्थी के वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर ....
पूर्ण नाम एवं पता ....

निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश--

1. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा जारी होने के दिनांक से दिनांक **14.10.2023** को सायंकाल 05:30 बजे तक जिला न्यायालय भवन के प्रथम तल पर के कक्ष कमांक 16 में नजारत अनुभाग भिण्ड में नायब नाजिर भिण्ड के पास बंद लिफाफे में निविदा जिसके लिफाफे पर प्रेषक के रूप में निविदादाता का नाम, पिता का नाम पूर्ण पोस्टल पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्स एप नंबर, ई.मेल व आधार कमांक तथा बैंकर्स चैक का नंबर व दिनांक अंकित कर लिफाफे में गोपनीय निविदा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के नाम से तथा बैकर्स चैक पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा।

2. बंद लिफाफे के साथ निविदाकर्ता को अर्नेष्ट मनी का बैंकर्स चैक राशि 25,000/- देना होगा।

3. बंद निविदायें आने पर दिनांक **16.10.2023** को प्रातः 10:40 बजे सभी निविदाकारों की उपस्थिति में कय समिति के समक्ष समिति के प्रतिवेदन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश से निविदा अंतिम रूप से मान्य होगी।

सही/-
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भिण्ड (म0प्र0)